"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013—भाद्र 22, शक 1935

विषय—सूची



# भाग १

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक ई-1-1-2013/1/2.— श्री अनिल कुमार साहू, भा.व.से. (सीजी : 1990) वन संरक्षक, साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, (SECL), बिलासपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए श्री साहू को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (सीजी : 2002), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छ.ग. को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग., रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री अन्वलगन पी., भा.प्र.से. (सीजी : 2004) उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग., रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग., रायपुर पदस्थ किया जाता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्रमांक ई-1-1-2013/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-08-2013 द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को अपरिहार्य कारणों से एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुनिल कुमार,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 9-4/2013/1-8.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोज कुमार सोनी, उप महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), रायपुर की सेवाएं भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली मे इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें बाद में जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जी. आर. चुरेन्द्र,** उप-सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 2-15/2013/1-8.— राज्य शासन एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता), रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री डी. के. ठाकुर, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग की सेवाएं प्रभारी मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) के पद से वापस लेते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अन्य संवर्ग के उप सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक 792/621/अव./2013/1-8/स्था.— श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 12-08-2013 से 16-08-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10, 11, 17, 18-08-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक 794/620/अव./2013/1-8/स्था.— श्री एम. एन. राजुरकर, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 16-08-2013 से 24-08-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-08-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजुरकर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजुरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 796/576/अव./2013/1-8/स्था.— श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 22-07-2013 से 27-07-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 20, 21, 28-7-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 798/629/अव./2013/1-8/स्था.— श्री प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 12-08-2013 से 20-08-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10, 11, 21-08-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे आगामी आदेश तक उप-सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 800/619/अव./2013/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 19-08-2013 से 27-08-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18, 28-08-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.**

---

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

## कार्यालय आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्रमांक 2418/वि-7/MGNREGA/2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम, 2013 कहलायेंगे.
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—
   (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
      (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42);
      (ख) "अपीलीय अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर तथा इन नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) एवं (3) में यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी;
      (ग) "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;
      (घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर;
      (ङ) "कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्रेत है जनपद पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी;
   (2) शब्द एवं अभिव्यक्ति जो इन नियमों में प्रयुक्त है और जो परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है.

3. **बेरोजगारी भत्ते की पात्रता.**— यदि अधिनियम के नियम 2 के खण्ड (त) के अधीन यथा परिभाषित स्कीम के अंतर्गत किसी आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के या विनिर्दिष्ट की गई तिथि में अग्रिम आवेदन की दशा में रोजगार चाहा गया है ऐसे रोजगार चाहे गये तिथि से, इसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पन्द्रह दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इस नियम के अंतर्गत वह उस दिन के 16वें दिन से, जब तक ऐसा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा.

4. **बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन.—**

(1) प्रत्येक आवेदक को रोजगार प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट तिथि की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर, ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी को बेरोजगारी भत्ते के लिये अपना आवेदन देना होगा.

(2) पृथक-पृथक अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता के लिये पृथक-पृथक आवेदन देना होगा.

(3) रोजगार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन की पावती, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

(4) कार्य पर उपस्थित होने का प्रमाण/साक्ष्य, अर्थात् जब आवेदन ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर कार्य में उपस्थित हुआ था, तब कार्यान्वयन अधिकारी द्वारा उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था, का आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होगा, अन्यथा उसका आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा.

5. **बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया.—**

(1) बेरोजगारी भत्ते हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय, जनपद पंचायत (विकासखण्ड) के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा.

(2) ग्राम पंचायत, प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन/परीक्षण करेगी और उसे अपनी टीप के साथ कार्यक्रम अधिकारी को 5 दिवस के भीतर भेजेगी.

(3) आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिवस के भीतर, बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा तथा आदेश/निर्णय की प्रति आवेदक, ग्राम पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनिवार्यत: उपलब्ध कराया जायेगा.

(4) बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की दशा में, कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक आवेदन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का कारण दर्शाना आवश्यक होगा.

(5) स्कीम के अंतर्गत, बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई की दर से तथा शेष निरन्तर अवधि के लिये न्यूनतम मजदूरी दर का आधा देय होगा.

(6) बेरोजगारी भत्ते की अधिकतम सीमा-परिवार द्वारा मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता दोनों को मिलाकर उपार्जित कुल राशि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के 100 दिनों की मजदूरी की कुल राशि से अधिक नहीं होगी.

(7) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा, जिस तरह मजदूरी का भुगतान किया जाता है.

(8) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से, आवेदक को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में 7 दिवस से अधिक विलंब नहीं होना चाहिए, और यदि इसमें किसी तरह का विलंब होता है तो आवेदक, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन मुआवजा पाने का हकदार होगा.

6. **निम्नलिखित परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा.—**

(1) प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प आदि घटनाएं जिन पर सामान्यत: किसी का नियंत्रण नहीं होता है तथा विषम परिस्थितियां जैसे दंगा-फसाद आदि में यदि ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इस अवधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो, तो राज्य शासन द्वारा यथा घोषित अवधि एवं क्षेत्र के लिए बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा.

(2) यदि कार्य पर उपस्थिति के लिये, कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सूचना जारी किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर, आवेदक कार्य पर उपस्थित होने में विफल रहता है.

(3) यदि आवेदक, ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी की अनुमति बिना एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी माह में एक सप्ताह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है, तो वह, तीन माह के लिये बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, तथापि इस अवधि के दौरान वह रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है.

**(4)** उस अवधि हेतु जिसमें आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य जिसका नाम रोजगार कार्ड में दर्ज है, योजनान्तर्गत कार्यरत है/कार्यरत रहा है.

**(5)** वह अवधि जिसके लिए रोजगार चाहा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है.

**(6)** यदि आवेदक के परिवार के किन्हीं वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया है.

(7) यदि आवेदक के परिवार ने मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है.

7. **बेरोजगारी भत्ता हेतु अपीलीय प्राधिकारी.—**

(1) बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर कोई भी आवेदक, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर अपील कर सकेगा.

(2) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में पारित आदेश के विरुद्ध अपील, आवेदक द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर या उसकी ओर से प्राधिकृत अपर कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न के किसी अधिकारी के समक्ष की जायेगी.

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर या जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील, संभागीय आयुक्त या इस प्रायोजन के लिए उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष की जाएगी.

(4) अपीलीय प्राधिकारी को अपील की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील का निराकरण करना अनिवार्य होगा तथा की गई कार्यवाही के बारे में लिखित में आवेदक को सूचित करेगा.

8. **बेरोजगारी भत्ते की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रिया.—**

(1) राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर बेरोजगारी भत्ता की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा, बेरोजगारी भत्ते की मॉनिटरिंग के लिए त्रैमासिक बैठक आयोजित की जायेगी.

(3) प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों के संबंध में विवरण, प्रत्येक माह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान एवं रोजगार की उपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसको (रिपोर्ट को) राज्य सरकार, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेबपेज के प्रीडिजाईन्ड फारमेट में भी ऑनलाईन प्रविष्टि करायेगी.

No. 2418/वि-7/MGNREGA/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), State Government, hereby, make the following Rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 32 of the said Act, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement. —**

(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Unemployment Allowance Rules, 2013.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005);

(b) "Appellate Authority" means the District Programme Co-ordinator/Collector and any other officer as specified in sub-rule (2) and (3) of rule 7 of these rules;

(c) "Additional District Programme Co-ordinator" means the Chief Executive Officer of the concerned Zila Panchayat;

(d) "District Programme Co-ordinator" means concerned District Collector;

(e) " Programme Officer" means the programme officer of Janpad Panchayat.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Eligibility for unemployment allowance.—** If an applicant is not provided employment under the scheme, as defined under clause (p) of rule 2 of the Act, within 15 days of receipt of his/her application or, in case of advance application in which the date has been specified from which the employment has been sought, from the date that employment has been sought, whichever is later, then under this rule, he/she shall be entitled to a daily unemployment allowance from the 16th day till he/she is provided such employment.

4. **Application for an unemployment allowance.—**

(1) Every applicant shall submit his application for unemployment allowance to the Gram Panchayat/ Programme Officer within 30 days from the expiry of the date specified for providing employment.

(2) For unemployment allowance separate application shall be submitted for separate period.

(3) Acknowledgement of the application submitted for seeking employment, must be enclosed with the application.

(4) It shall be necessary to mention clearly in the application proof/evidence of presence on the worksite i.e. when the applicant was present at worksite on the instructions of Gram Panchayat/Programme Officer, employment was not provided to him/her by the Implementation Officer, otherwise his application shall be rejected.

5. **Procedure for sanction and disbursement of unemployment allowance.—**

(1) Decision on applications for unemployment allowance, shall be taken by the Programme Officer of Janpad Panchayat of the Block.

(2) Gram Panchayat shall examine/scrutinize the applications and shall sent them to Programme Offier within 5 days along with comments.

(3) Decision regarding acceptance/rejection of unemployment allowance shall be taken within 10 days from the date of submission of application by the applicant and the copy of decision/order shall be compulsorily provided to the applicant, Gram Panchayat and District Programme Co-ordinator.

(4) Programme Officer shall be required to mention reason for not providing employment, on each application, in case, accepted for unemployment allowance.

(5) Under the scheme, unemployment allowance during a financial year, at the rate of one fourth of the minimum wage rate for the first 30 days and for the balance continued period half of the minimum wage rate, shall be payable.

(6) **Maximum limit of Unemployment allowance**- The total amount earned by a family by means of labour payment and unemployment allowance shall not exceed total labour payment of 100 days during one financial year.

(7) Unemployment allowance shall be paid in similar way as labour payment is paid.

(8) For payment of unemployment allowance, there should not be delay of more than 7 days from the date of issuing of sanction order by the Programme Officer and if any delay is caused, the applicant shall be entitled to receive compensation under the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

6. **Unemployment allowance is not payable under following circumstances.—**

(1) Unemployment allowance shall not be paid during natural calamities like - famine, flood, earthquake etc. wherein no-one has any control over such situations and rare conditions like riots etc. when it is not possible for Gram Panchayat/Implementating Agency to provide employment than unemployment allowance shall not be payable for such period and area as declared by the State Government.

(2) When an applicant fails to remain present at the worksite within 15 days from the date of notice issued by the Programme Officer/Gram Panchayat or Implementing Agency for being present at the worksite.

(3) When an applicant remains absent continuously for more than one week or is absent for more than one week in a month without the permission of Gram Panchayat or Implementing Agency, he shall not be entitled to receive unemployment allowance for three months, however, during this period he can submit an application for employment.

(4) The period in which the applicant or any adult member of the family whose name is enrolled in employment card, is working/has worked under the scheme.

(5) The period, for which applicant had sought employment, expires and none of the family member come for employment.

(6) If any adult member of family of the applicant has obtained minimum 100 days of employment in total during the financial year.

(7) If an applicant's family has earned amount equal to labour payment of 100 days by means of labour payment and unemployment allowance, including both, during the financial year.

7. **Appellate Authority for unemployment allowance.—**

(1) Any applicant, dissatisfied by the action taken on his application submitted for unemployment allowance, may appeal before the Appellate Authority within 15 days from the date of order.

(2) An appeal against the order passed by the Programme Officer regarding acceptance/rejection of unemployment allowance, may be submitted by the applicant to the District Programme Co-ordinator/Collector or any officer authorized on his behalf, not below the rank of Additional Collector.

(3) A second appeal, against the order passed by the District Programme Co-ordinator/Collector or a District Level Officer, may be submitted before Divisional commissioner or any officer authorized on his behalf for this purpose.

(4) It shall be compulsory for the Appellate Authority to dispose off the appeal within stipulated time of 30 days from the date of appeal and shall inform the applicant about the proceedings in writing.

8. **Procedure for monitoring unemployment allowance.—**

(1) Procedure of monitoring unemployment allowance must be published extensively at State, District and Janpad level.

(2) District Programme Co-ordinator/Collector shall conduct quarterly meeting for monitoring of unemployment allowance.

(3) Details regarding received and disposed off applications shall be submitted every month by the Programme Officer to the District Programme Co-ordinator and the District Programme Co-ordinator shall submit the report with clear status of unemployment allowance payment and availability of employment to the State Government, and the State Government shall submit the same to the Government of India and make online entries in the predesigned formatted web page of Government of India, Ministry of Rural Development.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. टंडन**, संयुक्त सचिव.

## खनिज साधन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-48/2013/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम (5) एवं (6) में उल्लेखित देशांश एवं अक्षांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की तारीख के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत खनिज रियायत के क्षेत्रों को छोड़कर, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा अथवा उसके माध्यम से खनिज चूनापत्थर के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के लिए आरक्षित करती है :—

तालिका

| क्र. (1) | जिला/ग्राम (2) | खनिज (3) | टोपोशीट नं. (4) | अक्षांश (5) | देशांश (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बस्तर/चितापुर, रायकोट | चूनापत्थर | 65E/16 & F/13 | A. 19°00'11.88" | 81°50'14.64" |
| | | | | B. 19°00'11.88" | 81°52'09.48" |
| | | | | C. 18°59'21.48" | 81°52'09.48" |
| | | | | D. 18°59'21.48" | 81°51'38.88" |
| | | | | E. 18°59'06.60" | 81°51'38.88" |
| | | | | F. 18°59'06.60" | 81°52'09.48" |
| | | | | G. 18°58'39.36" | 81°52'09.48" |
| | | | | H. 18°58'39.36" | 81°51'24.84" |
| | | | | I. 18°58'17.04" | 81°51'03.24" |
| | | | | J. 18°56'23.64" | 81°51'36.00" |
| | | | | K. 18°56'02.76" | 81°51'17.28" |
| | | | | L. 18°57'11.16" | 81°48'28.80" |
| | | | | M. 18°58'56.28" | 81°49'03.00" |
| | | | | N. 18°58'56.28" | 81°50'14.64" |

2. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 03 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74(2) के उपबंध के अधीन इस अधिसूचना के प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. डी. कुंजाम**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-48/2013/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-48/2013/12, दिनांक 13-8-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 13th August 2013.

No. F 7-48/2013/12.—In exercise of the power conferred by sub Rule (1) of Rule 74 of Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby, reserve area fall within the longitudes and latitudes mentioned in column (5) and (6), the following table for survey/prospecting of Limestone by the Directorate of Geology & Mining Chhattisgarh, Raipur, or through it, leaving the recommended and sanctioned mineral Concession areas before the date of this notification :—

TABLE

| S. No. | District/Village | Name of Mineral | Toposheet No. | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Bastar/Chitapur, Raikot | Limestone | 65E/16 & F/13 | A. 19°00'11.88" | 81°50'14.64" |
| | | | | B. 19°00'11.88" | 81°52'09.48" |
| | | | | C. 18°59'21.48" | 81°52'09.48" |
| | | | | D. 18°59'21.48" | 81°51'38.88" |
| | | | | E. 18°59'06.60" | 81°51'38.88" |
| | | | | F. 18°59'06.60" | 81°52'09.48" |
| | | | | G. 18°58'39.36" | 81°52'09.48" |
| | | | | H. 18°58'39.36" | 81°51'24.84" |
| | | | | I. 18°58'17.04" | 81°51'03.24" |
| | | | | J. 18°56'23.64" | 81°51'36.00" |
| | | | | K. 18°56'02.76" | 81°51'17.28" |
| | | | | L. 18°57'11.16" | 81°48'28.80" |
| | | | | M. 18°58'56.28" | 81°49'03.00" |
| | | | | N. 18°58'56.28" | 81°50'14.64" |

2. The notification shall remain in force for 3 years from the date of publication in the official gazette. No mineral concession will be sanctioned under the provision of rule 74(2) of Mineral Concession Rule 1960, on the effect of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

# वन विभाग

## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2013

### संकल्प

क्रमांक एफ 7-36/2001/10-2.—छत्तीसगढ़ राज्य में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए संकल्प से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-36/2001/व.स./10 दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 की कंडिका 9.1.3 में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 जून, 2008 के द्वारा संशोधन किया जाकर 15 प्रतिशत राशि के स्थान पर "15 प्रतिशत राशि का 30 प्रतिशत काटकर शेष राशि" प्रतिस्थापित किया गया है. उपरोक्तानुसार संशोधित कंडिका 9.1.3 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :—

(i) वन प्रबंधन समिति को आवंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रस्ताव के अनुरूप काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की

— 20 प्रतिशत तक की राशि का 30 प्रतिशत काटकर शेष राशि, या
— 20 प्रतिशत तक की राशि का 30 प्रतिशत काटकर शेष मूल्य तक की सीमा तक का वनोत्पाद, या
— 20 प्रतिशत तक की राशि का 30 प्रतिशत काटकर शेष मूल्य की सीमा तक राशि या वनोत्पाद

समिति को प्रदाय किया जावेगा.

(ii) वन प्रबंधन समिति को आवंटित वन क्षेत्र मे कार्य आयोजना के प्रस्ताव के अनुरूप बांस कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक सफाई से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की

— 100 प्रतिशत राशि का 30 प्रतिशत काटकर शेष राशि, या
— 100 प्रतिशत राशि का 30 प्रतिशत काटकर शेष मूल्य तक की सीमा तक का वनोत्पाद, या
— 100 प्रतिशत राशि का 30 प्रतिशत काटकर शेष मूल्य की सीमा तक राशि या वनोत्पाद

समिति को प्रदाय किया जावेगा.

वनोपज प्रदाय की दशा में प्रदाय की जाने वाली वनोपज के विदोहन पर हुए

— व्यय के तुल्य राशि, या
— व्यय के तुल्य वनोपज की मात्रा कम कर शेष राशि दी जायेगी.

कूप में वनोत्पाद के मूल्य की गणना गैर वाणिज्यिक दरों के आधार पर होगी.

यदि समिति को आवंटित वन क्षेत्र में अवैध कटाई से हानि होती है तो शुद्ध हानि की 50 प्रतिशत राशि के लिए संबंधित वन प्रबंधन समिति को उत्तरदायी माना जायेगा और ऐसी राशि या उसके समतुल्य वनोपज समिति को प्रदाय की जाने वाली राशि या वनोपज में से कम कर ली जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. भट्ट, विशेष सचिव.

## सहकारिता विभाग

### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक/एफ 15-12/15-02/2013/2295.—राज्य शासन एतद्द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण" हेतु निम्न तालिका अनुसार स्वीकृत 11 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

| क्र. (1) | पदनाम (2) | वेतनमान (3) | पद (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष | 70290-76450 | 1 |
| 2. | सदस्य | 37400-67000+8700 | 2 |
| 3. | रजिस्ट्रार | 15600-39100+7600 | 1 |
| 4. | सहायक ग्रेड-1 | 5200-20200+2800 | 1 |
| 5. | सहायक ग्रेड-3 | 5200-20200+1900 | 1 |
| 6. | स्टेनोग्राफर | 5200-20200+1900 | 1 |
| 7. | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 5200-20200+1900 | 1 |
| 8. | वाहन चालक | 5200-20200+1900 | 1 |
| 9. | भृत्य | 4750-7440+1300 | 2 |
| | | योग | 11 |

2. उपरोक्त पदों के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य व्यय की राशि, मांग संख्या-17, आयोजनेत्तर, एक-राजस्व अनुभाग, 2425-सहकारिता, (001)-निर्देशन और प्रशासन, (8932)-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, मद में विकलनीय होगी.

3. यह स्वीकृति वित विभाग के यू. ओ. क्रमांक 346/सी.एन. 2013-15-00018 बजट-5/वित्त/चार 2013 दिनांक 29-07-2013 द्वारा प्रदान की गई है.

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्रमांक/एफ 1-9/2013/15-01/2379.—राज्य शासन एतद्द्वारा सहकारिता विभाग के सेटअप में स्वीकृत 12 पदों को प्रतिनियुक्ति रक्षित घोषित करता है. सहकारी संस्थावार प्रतिनियुक्ति रक्षित पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

| क्र. | सहकारी संस्था | संस्थागत पद | प्रतिनियुक्ति रक्षित पद | |
|---|---|---|---|---|
| | | | पदनाम | संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर | प्रबंध संचालक | अपर पंजीयक | 1 |
| | | महाप्रबंधक | संयुक्त पंजीयक | 1 |
| 2. | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर. | सचिव | संयुक्त पंजीयक | 1 |
| | | महाप्रबंधक | उप पंजीयक | 1 |
| 3. | छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर | सचिव | संयुक्त पंजीयक | 1 |
| | | प्रबंधक वित्त | उप पंजीयक | 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4. | भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, कवर्धा. | प्रबंध संचालक<br>महाप्रबंधक | उप पंजीयक<br>सहायक पंजीयक | 1<br>1 |
| 5. | दन्तेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद. | प्रबंध संचालक<br>महाप्रबंधक | उप पंजीयक<br>सहायक पंजीयक | 1<br>1 |
| 6. | मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर. | प्रबंध संचालक<br>महाप्रबंधक | उप पंजीयक<br>सहायक पंजीयक | 1<br>1 |
| | | | **योग** | **12** |

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 364/सी.एन. 2013-15-00004 बजट-5/वित्त/चार 2013 दिनांक 08-08-2013 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अरूण कुमार सिंह,** अवर सचिव.

---

## ऊर्जा विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनूप गर्ग, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या. को आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्या. में निदेशक (वित्त एवं वाणिज्य) नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमेश कुमार अग्रवाल,** उप-सचिव.

---

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

[illegible]पुर, [illegible]नांक 23 अगस्त 2013

क्रमाक एफ 20-40/2013/ग्यारह [illegible]—[illegible] के [illegible]-उद्यम की स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्यमंत्री [illegible] स्व-[illegible] योजना [illegible]त करता है. यह योजना अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एन. बैजेन्द्र कुमार,** प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य **शासन** एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./4297 को दिनांक 18-07-2013 से 16-10-**2013** (अर्थात् 03 माह) तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

**(1)** संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

**(2)** उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

**(3)** संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

**(4)** नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

**(5)** छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

**(6)** यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. छबलानी**, विशेष सचिव.

---

## विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक 7980/723/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिनेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उसी अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 006-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक 8172/2538/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जयप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता, रामानुजगंज नवीन राजस्व जिला-बलरामपुर (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें रामानुजगंज नवीन राजस्व जिला-बलरामपुर (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उसी अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक 8174/2536/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री इन्दरचंद राकेचा, अधिवक्ता, बालोद नवीन राजस्व जिला-बालोद (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए परिवीक्षा पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें बालोद, नवीन राजस्व जिला-बालोद (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अवधि के लिए ही अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुषमा सावंत**, अतिरिक्त सचिव.

## जल संसाधन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 01-10/31/स्था./2013.—छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम-1968 में मुख्य अभियंता (सिविल) से प्रमुख अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम में 02 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित है.

2. राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता (सिविल) से प्रमुख अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हकारी सेवा 02 वर्ष की अवधि में, (कलेण्डर वर्ष 01-01-2013 से 31-12-2013 तक के लिए) 01 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है.

3. उपरोक्त के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) के यू.ओ.क्रमांक-379, दिनांक 11-07-2013 द्वारा छूट प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. नारद, अवर सचिव.**

# खेल एवं युवा कल्याण विभाग

## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 9-22/2013/9.—छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा "मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना" के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना" नियम, 2013 है।
   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **उद्देश्य** :—इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को उनके बौद्धिक विकास हेतु उनके जीवनकाल मेंएक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट स्थानों में से एक या एक से अधिकस्थानों के लिए सामूहिक यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है।

3. **परिभाषाएं :—**
   (1) युवा से तात्पर्य— ऐसा व्यक्ति जिसने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
   (2) स्थानीय निवासी से तात्पर्य—ऐसा व्यक्ति जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता हो।
   (3) वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवक— ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार के किसी विभाग, निगम, मण्डल, आयोग, परिषद्, विश्वविद्यालय, नगरीय निकाय एवं पंचायत में नियमित/संविदा/दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्तमान में कार्यरत हो या पूर्व में कार्यरत रहा हो।
   (4) यात्रा से तात्पर्य—उन स्थान/स्थानों के समूह से हैं जो विभाग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए।
   (5) यात्री से तात्पर्य— उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत चयनित होकर यात्रा प्रारंभ करता है।
   (6) आवेदक से तात्पर्य— उस व्यक्ति से है जो इस योजना के अंतर्गत यात्रा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है।
   (7) एजेन्सी से तात्पर्य— इण्डियन रेल्वे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड से है।
   (8) विभाग से तात्पर्य— खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से है।

4. **यात्रा पर जाने के लिए पात्रता** :—इस योजना के अंतर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी :—
   (1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।
   (2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
   (3) इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो।
   (4) यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी. बी., कांजेस्टिक कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्तता, Coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।

**5. निरर्हता :—**

(1) यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

(2) नियम 17 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर भी आवेदक/यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

(3) नियम 5 (1) एवं (2) के अंतर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिए भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा।

(4) वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवक इस योजना के पात्र नहीं होंगे तथापि यात्रा की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु यदि इनकी सेवाएं ली जाती है तो वे यह यात्रा कर सकेंगे।

**6. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति :—**

(1) राज्य सरकार विभिन्न स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य स्तर पर "मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति" गठित कर सकेगी। यह समिति छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत होगी।

(2) उक्त समिति के साधारण सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन | — | अध्यक्ष |
| 2. | माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा | — | उपाध्यक्ष |
| 3. | माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा | — | उपाध्यक्ष |
| 4. | माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास | — | उपाध्यक्ष |
| 5. | माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन | — | उपाध्यक्ष |
| 6. | माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास | — | उपाध्यक्ष |
| 7. | माननीय मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण | — | उपाध्यक्ष |
| 8. | माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग | — | उपाध्यक्ष |
| 9. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त | — | सदस्य |
| 10. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, गृह | — | सदस्य |
| 11. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा | — | सदस्य |
| 12. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा | — | सदस्य |
| 13. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जातिएवं अनुसूचित जाति विकास | — | सदस्य |
| 14. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास | — | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवंबाल विकास | – | सदस्य |
| 16. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | – | सदस्य |
| 17. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन | – | सदस्य |
| 18. | सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण | – | सदस्यसचिव |
| 19. | संचालक, खेल एवं युवा कल्याण | – | कोषाध्यक्ष |
| 20. | माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामांकित व्यक्ति | – | सदस्य |

उपरोक्त समिति में वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे।

**7. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति के कर्त्तव्य :–**

(1) समिति, निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी–

(क) योजना का संचालन एवं मानिटरिंग।

(ख) योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं को संचालित करने हेतु निर्णय लेना एवं उन्हें कियान्वित कराना।

(ग) योजना के कियान्वयन में होने वाले व्यय का नियंत्रण।

(घ) अन्य कार्य जो समय–समय पर शासन द्वारा सौंपे जाएं।

(2) समिति अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर उप समितियां बना सकेंगी।

**8. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना जिला स्तरीय समिति :–**

(1) राज्य सरकार विभिन्न स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना जिला स्तरीय समिति गठन कर सकेगी।

(2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | जिले के प्रभारी माननीय मंत्री | – | अध्यक्ष |
| 2. | कलेक्टर | – | उपाध्यक्ष |
| 3. | जिला पुलिस अधीक्षक | – | सदस्य |
| 4. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | – | सदस्य |
| 5. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | – | सदस्य |
| 6. | जिले का सत्कार अधिकारी | – | सदस्य |
| 7. | जिला शिक्षा अधिकारी | – | सदस्य |
| 8. | सहायक आयुक्त आदिवासी विकास | – | सदस्य |
| 9. | महिला एवं बाल विकास अधिकारी | – | सदस्य |
| 10. | खेल अधिकारी या जिले में पदस्थ उच्च स्तर का अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग | – | सदस्य सचिव |

(3) समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति को कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।आकस्मिकता होने पर सहायक संचालक/वरिष्ठ/जिला खेल अधिकारी, कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर योजना के कियान्वयन हेतु कार्यवाही कर सकेंगे।

**9. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना जिला स्तरीय समिति के कर्त्तव्य :–**

(1) समिति, निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी–

(क) यात्रा के हितग्राही युवाओं के नामों की अनुशंसा करेगी।

(ख) युवाओं की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार।

(ग) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना।

(घ) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।

(ङ) हितग्राही युवाओं को जिले से यात्रा प्रारंभ स्थल तक पहुंचाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था।

(च) अन्य कार्य जो समय–समय पर, सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

**10. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना जिला स्तरीय समिति की उपसमिति, विकासखण्ड स्तर पर :–**

(1) राज्य सरकार विभिन्न स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों के चयन की अनुशंसा करने एवं यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखण्ड स्तर पर समिति का गठन कर सकेगी। यह समिति नियम 8 में उल्लेखित जिला स्तरीय समिति की उपसमिति के रूप में कार्य करेगी।

(2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व | –अध्यक्ष |
| 2. | अनुविभागीय अधिकारी पुलिस | –सदस्य |
| 3. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत | –सदस्य |
| 4. | विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी | –सदस्य |
| 5. | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी | –सदस्य सचिव |
| 6. | परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकासपरियोजना | –सदस्य |

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।आकस्मिकता होने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुमोदन प्राप्त कर योजना के कियान्वयन हेतु कार्यवाही कर सकेंगे।

**11. मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना विकासखण्ड स्तरीय समिति के कर्त्तव्य :–**

(1) (क) विकासखण्ड स्तर पर आवेदन एकत्रित कर उसका परीक्षण उपरान्त पात्रता रखने वाले आवेदकों के नामों की अनुशंसा, जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगी।

(ख) इस योजना के अंतर्गत आवेदकों एवं हितग्राहियों का अभिलेख संधारित करेगी।

(ग) अन्य कार्य जो समय–समय पर शासन द्वारा सौंपे जाएं।

**12. यात्रा स्थानों की सूची :–**

यात्रा हेतु तीर्थ स्थानों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में दी गई है। उक्त सूची में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थानों को सम्मिलित अथवा विलोपित किया जा सकेगा।

**13. आवेदन की प्रकिया :–**

(1) आवेदन दो प्रतियों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "ब" में संलग्न हैं।

(2) आवेदन के साथ 3.5cm×3.5cm साईज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पोज में लगाना होगा।

(3) आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

(क) राशन कार्ड की प्रतिलिपि
(ख) ड्राइविंग लाईसेंस की प्रतिलिपि
(ग) विद्युक देयक की प्रतिलिपि
(घ) मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि
(ङ) राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य

(4) आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाए उस पर "मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना वर्ष 20......... यात्रा के लिए आवेदन" अंकित किया जाए। रिक्त स्थानों में जिस वर्ष में जिस स्थान की यात्रा हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

(5) आवेदक को किन्हीं दो नामनिर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टियां जिनसे उनकी किसी आपात स्थिति में तुरंत सम्पर्क किया जा सके, का उल्लेख भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा। अपने कम से कम एक नामनिर्देशिती का मोबाईल नंबर देना आवश्यक होगा।

(6) आवेदक को अपने जनपद अथवा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

**14. चयन की प्रकिया** :–यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार किया जाएगा :–

(1) यात्रा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25% अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी।

(3) चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।

(4) चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे, प्रसारित किया जाएगा।

(5) केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा।

15. **यात्रा की प्रकिया :—**

(1) कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची संचालक द्वारा निर्धारित एजेन्सी को सौंपी जाएगी।

(2) निर्धारित एजेन्सी यात्रियों के समूह के यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी।

(3) यात्रियों के यात्रा व्यय एवं उन्हें उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विनिश्चय, विभाग द्वारा किया जाएगा।

(4) यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जा सकेगा। शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शासकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा। उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय खेल एवं युवा कल्याण विभाग वहन करेगा।

(5) यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

16. **यात्रियों के समूह** :—यात्रा केवल सामूहिक रूप से आयोजित की जाएगी। उक्त समूहों का निर्धारण शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। किसी स्थान की यात्रा के लिए शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा प्रारंभ की जाएगी। योजना के अंतर्गत चयन होने मात्र से ही व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु शासन बाध्य नहीं होगा।

17. **अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध** :—केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अंतर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नहीं ले जा सकेगा। ट्रेन व वाहनों में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा।

18. **अतिरिक्त व्यय के संबंध में** :—यदि कोई, यात्रा के दौरान, शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा।

19. **यात्रा के दौरान अपेक्षाएं :—**

(1) यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे।

(2) यात्री राज्य की सांस्कृतिक विरासत एवं मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छबि अन्यथा प्रभावित न हों।

(3) यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे।

(4) यात्री को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। यात्री का सामान गुमने, चोरी होने या अन्य किसी प्रकार से हानि होने पर आयोजक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

20. **यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां**:—यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।

21. **योजना पर व्यय** :–योजना के कियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक), जिसमें यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय तथा परिवहन, दूरभाष, विज्ञापन, प्रचार–प्रसार, व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना, सत्कार व्यय आदि सम्मिलित हैं, करने के लिए मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना के सदस्य सचिव (जो कि सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग है) सक्षम होंगे।

22. **यात्रा कोष** :–मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना हेतु बजट प्रावधानित राशि, मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति को अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इस समिति के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि और निजी स्त्रोतों से प्राप्त राशियां सम्मिलित होंगी। बैंक खाते का संचालन मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति के माध्यम से होगा।
इस बैंक खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग यात्रा व्यय के अतिरिक्त यात्रा प्रबंधन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी, संपर्क व्यक्ति के वेतन भत्तों एवं अन्य अनुषांगिक व्ययों के लिए भी किया जा सकेगा।

23. **संचालक** :–योजना के दिन प्रतिदिन संचालन हेतु शासन द्वारा संचालक की नियुक्ति की जाएगी जो संयुक्त संचालक या उससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा, उसे आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेंगी।

24. **अन्य** :–उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान होते हुए भी, योजना के कियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासकीय निर्णय, जिसमें वित्तीय व्यय (बजट प्रावधान की सीमा तक) भी सम्मिलित है, के लिए सचिव, मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना समिति अधिकृत होंगे।

25. **नियमों का निर्वचन** :–इन नियमों के किसी भी उप नियम या खण्ड की व्याख्या के लिए सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का विनिश्चिय अंतिम होगा।

26. **संशोधन/शिथिलन** :–विभाग इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, शिथिलन करने हेतु सक्षम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. डी. कुंजाम,** उप-सचिव.

परिशिष्ट–"अ"

## मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना

# भ्रमण हेतु स्थानों की सूची

1. इलाहाबाद, सारनाथ, बनारस
2. ग्वालियर, आगरा, फतेहपुरसीकरी
3. आगरा, दिल्ली, जयपुर, फतेहपुरसीकरी
4. दिल्ली, अमृतसर, जलियावाला बाग
5. मुम्बई, औरंगाबाद, अजंता एलोरा
6. चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माऊंट आबू
7. बैंगलोर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम
8. त्रिवेन्द्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम्
9. सम्बलपुर, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी
10. कोलकाता, दार्जिलिंग, गंगटोक

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए
आवेदन पंजीयन कमांक.................दिनांक..................

**परिशिष्ट "ब"**

पासपोर्ट साईज का फोटो स्व अभिप्रमाणित कर चस्पा करें।

## छत्तीसगढ़ शासन
## खेल एवं युवा कल्याण विभाग

## मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना हेतु आवेदन
## वर्ष ................

पुरूष [ ] महिला [ ]
(जो लागू हो सही(√)का निशान लगावें)

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :— ..............................................................
   (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) :— ..............................................................
2. पिता/पति का नाम पूरा नाम :— ..............................................................
   (जो लागू न हो उसे कांट देंवे)
3. जन्मतिथि (अंकों में) :—................दिन................ माह................वर्ष
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. 01 अप्रैल वर्ष............... की स्थिति में आयु :— ...............वर्ष................ माह................दिन
5. आवेदक का पूर्ण पता :— मकान नं ..........................................................
   सड़क/गली नं. ..........................................................
   वार्ड/मोहल्ला ..........................................................
   ग्राम/शहर/नगर..........................................................
   विकासखण्ड ..........................................................
   जिला ..........................................................
   राज्य ..........................................................
   पिनकोड ..........................................................
   (निवास के साक्ष्य के लिए दस्तावेज संलग्न करें)
6. आवेदक का सम्पर्क :— दूरभाष एसटीडी कोड...............नं. ..............
   मोबाईल नं. ..........................................................
   ई—मेल..........................................................
7. शैक्षणिक योग्यता :— ..............................................................
   ..............................................................
   ..............................................................
8. व्यवसाय :— ..............................................................
   (यदि विद्यार्थी हो तो कक्षा एवं शैक्षणिक संस्था का नाम भी लिखें) :— ..............................................................
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है?:—..............(हां/नहीं,जो लागू हो अंकित करें)

10. आवेदक के लिए टीशर्ट/जर्सी का साईज :–

| M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|
| 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |

(जो साईज हो उसमें सही (√) का निशान लगावें)

11. क्या आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना के तहत पूर्व में यात्रा की है। (यदि हां तो स्थान एवं यात्रा का वर्ष भी लिखें) :– हां/नहीं.................
स्थान .................
यात्रा वर्ष .................

12. क्या आवेदक रक्त/श्वांस/हृदय/फेफड़े/किडनी/लीवर से संबंधित किसी संक्रामक रोग से संबंधित कोई उपचार वर्तमान में करवा रहा है।(यदि हां तो रोग से संबंधित विवरण लिखें) :– हां/नहीं.................

13. क्या आवेदक राज्य के किसी शासकीय विभाग, निगम, मण्डल, आयोग, परिषद्, विश्वविद्यालय, नगरीय निकाय एवं पंचायत में नियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं या पूर्व में कार्यरत रहा है।(यदि हां तो पूर्ण विवरण देंवे किस–किस कार्यालय में किस स्थान पर किस पद पर कब कार्यरत हैं/था।) :– हां/नहीं.................
.................
.................
.................

14. आवेदक द्वारा किन्हीं दो नाम निर्देशितियों के नाम, पता एवं मोबाईल नं. जिनसे आवेदक की आपात स्थिति में होने पर तुरन्त सम्पर्क किया जा सके। :–
(1) नाम .................
पता .................
.................
मोबा. नं. .................
(2) नाम .................
पता .................
.................
मोबा. नं. .................

## //घोषणा पत्र//

मैं.................पिता/पति.................
पता.................घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. उपरोक्त विवरण में मेरे ज्ञान के आधार पर सही है।
2. मैंने मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना के नियम एवं निर्देश को पढ़/सुनकर समझ लिया है और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
3. यात्रा के दौरान होने वली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
4. इस योजना के अंतर्गत मैंने पूर्व में यात्रा नहीं की है।
5. वर्तमान वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल की तिथि में मैंने 18 वर्ष आयु पूर्ण कर ली है एवं 35 वर्ष आयु पूर्ण नहीं की है।
6. मैं वर्तमान या भूतपूर्व शासकीय सेवक नहीं हूं।

**हस्ताक्षर,**
**आवदेक का नाम**.................
**पता**.................

कार्यालयीन उपयोग हेतु

## पावती

**मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना वर्ष ..........................**

श्री/श्रीमती/कुमारी ...............................................................

पिता/पति का नाम श्री ...............................................................

**पता** .......................................................जिला .................... का

**आवेदन पत्र,** पंजीयन क्रमांक ............... दिनांक ............... को प्राप्त हुआ है।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
पदमुद्रा/सील

---

## गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक 1412/835/दो-गृह/भापुसे/2012.—राज्य शासन एतद् : श्री आर. के. विज, भा.पु.से. (1988) अति. पुलिस महानिदेशक, छसबल/नक्स.ऑप/एसटीएफ, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को स्वयं की बीमारी के ईलाज हेतु दिनांक 05-06-2013 से 14-06-2013 तक (कुल 10 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत करते हुये श्री विज को दिनांक 15, 16 जून 2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ प्रदान किया जाता है.

2. श्री आर. के. विज, भापुसे. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एंवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. विज, अति. पुलिस महानिदेशक, छसबल/नक्स.ऑप/एसटीएफ, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विज, अति. पुलिस महानिदेशक, छसबल/नक्स.ऑफ/एसटीएफ, पुलिस मुख्यालय रायपुर, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुनील विजयवर्गीय,** अवर सचिव.

# परिवहन विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्रमांक 5729/तक./परि./2013.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगर मार्गों के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित स्थानों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

| स.क्र. (1) | शहर/नगर (2) | पार्श्वस्थ स्थान/क्षेत्र (3) | |
|---|---|---|---|
| 1 | जगदलपुर | 1 | जगदलपुर से बड़ांजी व्हाया– संजय मार्केट, बालाजी मंदिर, धरमपुरा नं. 02, कुम्हरावंद, करंजी, पोटानार, छापर, भानपुरी। |
| | | 2 | जगदलपुर से बस्तर हाट व्हाया– संजय मार्केट, सर्किट हाउस चौक, आमागुडा चौक, आसना, मेटावाड़ा, बस्तर हाट। |
| | | 3 | जगदलपुर से नगरनार व्हाया– संजय मार्केट, कोर्ट चौक, रेल्वे स्टेशन चौक, पुलिस थाना बोधघाट, दंडामी, माडिया चौक, रायपुर मोड़ चौक, अडावाल, सेमरा, मारकेल, नगरनार। |
| | | 4 | जगदलपुर से बड़ेमुरमा व्हाया– संजय मार्केट, कोर्ट चौक, रेल्वे स्टेशन चौक, बोधघाट चौक, सरगीपाल, नियानार, जाटम, उलनार, बड़ेमुरमा। |
| | | 5 | जगदलपुर से केशलूर व्हाया– संजय मार्केट, गुरूगोंविद सिह चौक, गीदम नाका, परपा, पंडरीपानी, डिमरापाल, तेलीमारेंगा, केशलूर। |
| 2 | राजनांदगांव | 1 | राजनांदगांव नगर निगम से अर्जुनी व्हाया – पुराना बस स्टैण्ड, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट लखोली चौक, पुराना गंज चौक, नंदई चौक, इंदिरा नगर चौक, मेन अस्पाताल, कृषि उपज मंडी, बसंतपुर चौक, गोकुल नगर, फरहद चौक, जंगलपुर, रामपुर, घेरदा, सिंगारपुर। |
| | | 2 | राजनांदगांव नगर निगम से सुकुलदैहान व्हाया – इमाम चौक, चिखली चौक, पुराना ढाबा, नया ढाबा, मोतीपुर स्कूल रोड, बजरंगपुर नवागांव, बाटोला, लिटिया। |
| | | 3 | राजनांदगांव नगर निगम से सोमनी व्हाया – खुटेरी, ठाकुरटोला, श्रीराम कालेज, मनकी चौक, सुंदरा, पर्रीनाला, नेहरू नगर, रायपुर नाका, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट, रेल्वे स्टेशन चौक, नगर निगम। |
| | | 4 | राजनांदगांव नगर निगम से तुमड़ीबोड़ व्हाया – नया बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट से पीटीएस, पेण्ड्री, टीपी नगर, बनभेड़ी, इन्दामरा, भानपुरी, कोपेडीह, तुमडीबोड़। |
| | | 5 | राजनांदगांव नगर निगम से सिघोला व्हाया – रेल्वे स्टेशन चौक, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट चौक, लखोली चौक, पुरानागंज चौक, नंदई चौक, मोहारा चौक, हल्दी। |
| | | 6 | राजनांदगांव नगर निगम से ठेलकाडीह व्हाया – चिखली चौक गठुला बोरी, तिलई, पदुमतरा, खपरीखुर्द, ठेलकाडीह। |
| 3 | रायगढ़ | 1 | रायगढ़ से सिंघनपुर |
| | | 2 | रायगढ़ से बनोरा |
| | | 3 | रायगढ़ से साईमंदिर |
| | | 4 | रायगढ़ से चंद्रपुर |
| 4 | भिलाई–दुर्ग | 1 | सीएसईबी चौक से कलेक्ट्रेट व्हाया– सीएसईबी चौक, बोगदा पुलिया, कुरूद, कोहका, अपोलो हास्पिटल, नेहरूनगर, सेक्टर–9, हुडको, सेन्ट्रल जेल, सुराना कालेज, हास्पिटल (गांधी चौक) कलेक्ट्रेट। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2 | सुरडुंग से कलेक्ट्रेट व्हाया– सुरडुंग, शिवपुरी, डेरहा लकड़ीटाल, गंगाराम सायकल स्टोर, बोगदा पुलिया, एसीसी चौक, छावनी चौक, पा.हा. सुपेला चौक, नेहरूनगर, मालवीनगर चौक, बस स्टैण्ड, गांधी चौक, कलेक्ट्रेट। |
| | | 3 | कुम्हारी चौक से रेल्वे स्टेशन व्हाया– कुम्हारी चौक, डीएमसी कुम्हारी, साई मंदिर, चरोदा हनुमान मंदिर, वसुंधरा नगर भिलाई–3, सिरसा चौक, उमदा, हथखोज, छावनी बस्ती शासकीय स्कूल के पास, छावनी चौक, रामलू चौक, वैशालीनगर सांस्कृतिक भवन, अवंतीचौक कोहका, जुनवानी चौक, शंकरा इंजीनियरिंग, चिखली धमधा रोड, धमधा नाका दुर्ग, ग्रीन चौक रेल्वे स्टेशन दुर्ग। |
| | | 4 | दुर्ग बस स्टैण्ड से उतई व्हाया– दुर्ग बस स्टैण्ड से गांधी पुतला, सांई मंदिर चौक, जेल तिराहा, हुडको पेट्रोल पंप भिलाई, एमडी बंगला चौक, रूआंबांधा, डीपीएस चौक, मड़ौदा सेक्टर, मैत्रीबाग, रेल्वे स्टेशन मड़ौदा, नेवई, सी.आई.एस.एफ. ट्रेनिंग सेंटर, उतई। |
| | | 5 | रेल्वे स्टेशन से कुम्हारी व्हाया – रेल्वे स्टेशन, ग्रीन चौक दुर्ग, राजेन्द्र पार्क चौक, मालवीय नगर चौक, बीआईटी कालेज, एसएफ बटालियन, गुरूद्वारा चौक, नेहरूनगर, नेहरूनगर चौक, सुपेला चौक, मौर्या चन्दा चौक, बसंत टाकीज चौक, पावर हाउस चौक, खुर्सीपार गेट, जवाहर लाल उच्चतर मा0 विद्यालय, खुर्सीपार, डबरापारा भिलाई–3, भिलाई–3 रेल्वे स्टेशन, भिलाई–3 बाजार, सिरसागेट, बसुंधरा नगर भिलाई–3, चरोदा, जांजगिरी, सांईबाबा मंदिर, कुम्हारी। |
| | | 6 | दुर्ग बस स्टैण्ड से पावर हाउस रेल्वे स्टेशन व्हाया– दुर्ग बस स्टैण्ड से राजेन्द्र प्रसाद चौक, मालवीय नगर, 32 बंगला, सेक्टर–9 तिराहा, सेक्टर–7–8 चौक से सेन्ट्रल ऐवेन्यू, सेक्टर–6 से सेक्टर–10 चौक, महाराणा प्रताप भवन, जे.पी. चौक, पावर हाउस रेल्वे स्टेशन। |
| | | 7 | पटेल चौक से सिरसा चौक व्हाया– पटेल चौक दुर्ग, गांधी चौक जी.ई.रोड, सेन्ट्रल जेल चौक, हुडको भिलाई सेक्टर–9 हास्पिटल, सेक्टर–6, सेक्टर–1 चौक, पावर हाउस चौक, खुर्सी पार, डबरापारा भिलाई–3, आईल डीपो, रेल्वे स्टेशन भिलाई 3, पुराना बस स्टैण्ड, सिरसा चौक। |
| | | 8 | दुर्ग से सिरसा चौक व्हाया– दुर्ग से कातुलबोर्ड, जुनवानी, अपोलो हास्पिटल चौक, कोहका अवन्ती चौक, वैशालीनगर, छावनी चौक, हथखोज, उमदा, सिरसा चौक। |
| | | 9 | पटेल चौक से सिरसा चौक व्हाया– पटेल चौक दुर्ग से, गांधी पुतला, बस स्टैण्ड दुर्ग, 32 बंगला, सेक्टर–9 हास्पिटल, सेक्टर–6, सेक्टर–1 चौक, छावनी चौक, हथखोज, उमदा, सिरसा चौक। |
| | | 10 | दुर्ग बस स्टैण्ड से पावर हाउस रेल्वे स्टेशन व्हाया– स्वरूप टाकीज चौक, राजेन्द्र चौक, बस स्टैण्ड चौक, 32 बंगला चौक, सेक्टर–9 हास्पिटल, सेक्टर–8 चौक, नेहरूनगर रेल्वे कासिंग चौक, महाराणा प्रताप चौक, सेक्टर–6 जे.पी. चौक, सेक्टर–2 चौक, पावर हाउस रेल्वे स्टेशन। |
| | | 11 | मैत्रीबाग से दुर्ग रेल्वे स्टेशन व्हाया– मैत्रीबाग, मड़ौदा, मड़ौदा चौक, रूआंबांधा बाजार चौक, सेक्टर–8 चौक, सेक्टर–9 हास्पिटल से 09 गर्ल्स कालेज चौक, बस स्टैण्ड दुर्ग, स्वरूप टाकीज चौक, दुर्ग रेल्वे स्टेशन। |
| | | 12 | दुर्ग रेल्वे स्टेशन से बोरिया गेट व्हाया– दुर्ग रेल्वे स्टेशन, स्वरूप टाकीज चौक, बस स्टैण्ड, 32 बंगला चौक, सेक्टर–9 तिराहा, सेक्टर–7–8 चौक से सेन्ट्रल ऐवेन्यू, सेक्टर–10 चौक, सिविक सेंटर चौक, सेक्टर–6, सेक्टर–4, सेक्टर–2, सेक्टर–1, मेन गेट, बोरिया गेट। |
| | | 13 | दुर्ग बस स्टैण्ड से सोमनी व्हाया – दुर्ग बस स्टैण्ड, गंजमंडी, गंजमंडी तिराहा, पुलगांव चौक, शिवनाथ नदी, अंजोरा, टेड़ेसरा, सोमनी। |
| | | 14 | दुर्ग बस स्टैण्ड से नगपुरा व्हाया– दुर्ग बस स्टैण्ड, गंजमंडी, गंजमंडी तिराहा, पुलगांव चौक, शिवनाथ नदी, महमरा, गनियारी, नगपुरा मंदिर। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 15 | दुर्ग बस स्टैण्ड से सिरसा व्हाया– दुर्ग बस स्टैण्ड, राजेन्द्र चौक, ग्रीन चौक, एफ.सी.आई. गोदाम धमधा नाका के पास, अन्डरब्रीज बाईपास के पास, चिखली नाला, जेवरा सिरसा। |
| | | 16 | दुर्ग बस स्टैण्ड से अंडा व्हाया– दुर्ग बस स्टैण्ड, गंजमंडी, गंजमंडी तिराहा, पुलगांव चौक, पिसेगांव, कोलिहापुर, चन्दखुरी, कोनारी, कुथलेल, अंडा। |
| | | 17 | दुर्ग बस स्टैण्ड से चन्दखुरी व्हाया– दुर्ग बस स्टैण्ड, उताई टेम्पो स्टैण्ड, पुराना ट्रेचिंग गाउंड, पोटिया चौक, पुलागांव चौक, सी.एस.आई.टी., कोलियापुरी, पिसेगांव, चन्दखुरी। |
| | | 18 | दुर्ग बस स्टैण्ड से धनोरा व्हाया– दुर्ग बस स्टैण्ड, गांधी पुतला, लक्ष्मीबाई चौक, सुभाषनगर चौक, कसारीडीह, महाराजा चौक, बोरसी, धनोरा। |
| | | 19 | दुर्ग बस स्टैण्ड से नगपुरा व्हाया– दुर्ग बस स्टैण्ड, गंजपारा, गंजपारा तिराहा, नयापारा, पंचशील नगर, बघेरा, कोटनी, नगपुरा। |
| | | 20 | पावर हाउस बस स्टैण्ड से धनोरा व्हाया – पावर हाउस बस स्टैण्ड, मुर्गा चौक, इस्पात भवन, बोरिया गेट, जवाहर उद्यान, पेट्रोल पंप तिराहा, डी.पी.एस. भिलाई, रिसाली चौक, कृष्णा टाकीज रिसाली गांव, धनोरा। |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एच. के. राठौर**, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्रमांक 5729/तक./परि./2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 5729/तक./परि./2013 दिनांक 3-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप–सचिव.

Raipur, the 3rd September 2013

क्रमांक 5729/तक./परि./2013.—In exercise of the power conferred by clause (c) of serial number IV of First Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) the State Government hereby, notifies the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routs, namely:-

| S. No. (1) | City/Town (2) | Adjacent Places/Areas (3) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jagdalpur | 1 | **Jagdalpur to Badanji Via-** Sanjay Market, Balajee Mandir, Dharampura No.02 Kumrawand, Karanji, Potanar, Chhapar, Bhanpuri. |
| | | 2 | **Jagdalpur to Bastar Hat Via-** Sanjay Market, Circuit House Chowk Amaguda Chowk, Aasna, Metawada, Bastar Hat. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 3 | **Jagdalpur to Nagarnar Via-** Sanjay Market, Court Chowk, Railway Station Chowk, Police Station BodhGhat, Dandami Madiya Chowk, Raipur Mod Chowk, Adawal,Semara, Markel, Nagarnar. |
| | | 4 | **Jagdalpur to Bademurma Via-** Sanjay Market, Court Chowk, Railway Station Chowk, BodhGhat Chowk, Sargipal, Niyanar, Jatam, Ulnar, Bade Murma. |
| | | 5 | **Jagdalpur to Keshloor Via-** Sanjay Market, Guru Govind Singh Chowk, Geedam Naka, Parpa, Pandari Pani, Dimrapal, Teli Marenga, Keshloor. |
| 2 | Rajnandgaon | 1 | **Rajnandgaon Nagarnigam to Arjuni Via-** Old Bus stand, Agarwal Transport Lakholi chowk, Old Ganj Chowk, Nandai Chowk, Indra Nagar Chowk, Main Hospital, Krishi Upaj Mandi, Basantpur Chowk, Gokul Nagar, Farhad Chowk, Jangalpur, Rampur, Gherda, Singarpur. |
| | | 2 | **Rajnandgaon Nagarnigam to Sukuldaihan Via-** Imam Chowk, Chikhli Chowk, Purana Dhaba, Naya Dhaba, Moti Pur, School Road, Bajrangpur, Nawagaon, Batola, Litiya. |
| | | 3 | **Rajnandgaon Nagarnigam to Somani Via-** Khuteri, Thakur Tola, Shri Ram College, Manki Chowk, Sundra, Parri Nala, Nehru Nagar, Raipur Naka, Agarwal Transport, Railway Station Chowk, Nagar Nigam. |
| | | 4 | **Rajnandgaon Nagarnigam to Tumdibod Via-** Naya Bus Stand, Collectoret to PTS, Pendri, TP Nagar, Ban Bhedi, Indamara, Bhanpuri, Kopedih, Tumdibod. |
| | | 5 | **Rajnandgaon Nagarnigam to Sighola Via** - Railway Station Chowk, Agarwal Transport Chowk, Lakholi Chowk, Puranaganj Chowk, Nandai Chowk, Mohara Chowk, Haldi. |
| | | 6 | **Rajnandgaon Nagarnigam to Thelkadih Via** - Chikhli Chowk, Gathula, Bori, Tilai, Padumtara, Khapari Khurd, Thelkadih. |
| 3 | Raigarh | 1 | Raigarh to Singhanpur |
| | | 2 | Raigarh to Banora |
| | | 3 | Raigarh to Sai Mandir |
| | | 4 | Raigarh to Chandrapur |
| 4 | Bhilai-Durg | 1 | **CSEB Chowk to Collectorate Via** - CSEB Chowk, Bogda Puliya, Kurud, Kohka, Appolo Hospital, Nehru nagar, sector -9, Hudko, Central Jail, Surana Collage, Hospital (Gandhi Chowk) Collectorate. |
| | | 2 | **Surdung to Collectorate Via-** Surdung, Shivpuri, Derha LakdiTal, Ganga Ram Cycle Store, Bogda Puliya, ACC Chowk, Chhawani Chowk, P.H., Supela Chowk, Nehrunagar, Malviya Nagar Chowk, Bus Stand, Gandhi Chowk, Collectorate. |
| | | 3 | **Kumhari Chowk to Railway Station Via-** Kumhari Chowk, DMC Kumhari, SAi Mandir, Charoda Hanuman Mandir, Vasundhara Nagar, Bhilai-3, Sirsa Chowk, Umda, Hath Khoj, Chhawani Basti Govt. Schools ke pas, Chhawani Chowk, Ramlu Chowk, Vaishali Nagar, Sanskritik Bhawan, Awanti Chowk Kohka, Junwani Chowk, Shankara Engineering, **Chikhali** Dhamdha Road, Dhamdha naka Durg, Green Chowk, **Railway** Station Durg. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4 | **Durg Bus Stand to Utai Via-** Durg Bus Stand to Gandhi Putla, Sai Mandir Chowk, Jail Tiraha, Hudco Petrol Pump Bhilai, MD Bungalow Chowk, Ruan Bandha, DPS Chowk, Maroda Sector, Maitri Bag, Railway Station Maroda, Newai CISF Traning Centre, Utai. |
| | | 5 | **Railway Station to Kumhari Via -** Railway Station, Green Chowk Durg, Rajendra Park, Malviya Nagar Chowk, BTI College, SF Bataliyan, Gurudra choke, Nehru Nagar, Nehru Nagar choke, Supela choke, Morya Chanda Choke, Basant Takij Choke, Power-house choke, Khursipara Get, Jawaharlal Collage, Khursipara, Dabra para, Bhilai-3, Bhilai-3 Railway Station, Bhilai-3 Bazar, Sirsa Get, Basundhara Nagar Bhilai-3, Charoda, Janjgiri, Sai-Baba Mandir, Kumhari. |
| | | 6 | **Durg Bus Stand To Power-House Railway Station Via-** Durg Bus Stand To Rajendra Prasad chowk, Malviya Nagar, 32 Bangla, Sec-9, Tiraha, Sec-7,8 Chowk To Cenral Aweneo, Sec-06 To Sec-10 Chowk, Maharana Pratap Bhawan, J.P.Chowk, Power-House Railway Station. |
| | | 7 | **Patel Chowk To Sirsa Chowk Vai-** Patel Chowk Durg, Gandhi Chowk, G.E.Road, Central Jail Chowk, Hudko-Bhilal Sec-09, Hospital Sec-06, Sec-01 Chowk, Power-House Chowk, Khursipara Dabra-para Bhilai-03, Oil Depot, Railway Station Bhilai-03, Purana Bus Stand, Sirsa Chowk. |
| | | 8 | **Durg To Sirsa Chowk Vai-** Durg To Katul Board, Junwani, Apolo Hospital Chowk, Kohaka Awanti Chowk, Vesnali Nagar, Chawni Chowk, Hathkhoj, Umada, Sirsa Chowk. |
| | | 9 | **Patel Chowk To Sirsa Chowk Via-** Patel Chowk Durg To Gandhi Putala, Bus Stand Durg, 32 Bangla, Sec-09 Hospital, Sec-06, Sec-01 Chowk, Chawani Chowk, Hathkhoj, Umada, Sirsa Chowk. |
| | | 10 | **Durg Bus Stand To Power-House Railway Station Via-** Sawroop Takij Chowk, Rajendra Chowk, Bus Stand Chowk, 32 Bangla Chowk, Sec-09 Hospital, Sec-08 Chowk, Nehru Nagar Railwa Krasing Chowk, Maharana Pratap Chowk, Sec-06, J.P.Chowk, Sec-02 Chowk, Power House Railway Station. |
| | | 11 | **Metri Bagh To Durg Railway Station Vai-** Metri Bagh, Madoda Chowk, Ruya Bandha Bazar Chowk, Sec-8 Chowk, Sec-09, Hospital To 09 Collage Chowk, Bus Stand Durg, Sawroop Takij Chowk, Durg Railway Station. |
| | | 12 | **Durg Railway Station To Boriya Get Via-** Durg Railway Station, Sawroop Takij Chowk, Bus Stand- 32 Bangla Chowk, Sec-09, Tiraha Sec-07-08, Chowk, Central Avenue, Sec-10 Chowk, Civik Centrer Chowk, Sec-06, Sec-04, Sec-02, Sec-01, Main Get, Boriya Get. |
| | | 13 | **Durg Bus Stand To Somani Via-** Durg Bus Stand, Ganj Mandi, Ganj Mandi Tiraha, Poul Gaon Chowk, Shiv Nath Nadi, Anjora, Tedesara, Somani. |
| | | 14 | **Durg Bus Stand To Nagpura Via-** Durg Bus Stand, Ganj Mandi, Ganj Mandi Tiraha, Poul Gaon Chowk, Shiv Nath Nadi, Mahmara, Ganiyari, Nagpura Tempal. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 15 | **Durg To Sirsa Vai-** Durg Bus Stand, Rajendra Chowk, Green Chowk, F.C.I. Godam, Dhamdha Naka, Under-Brij Bay-pass, Chilkhi Nala, Zebara, Sirsa. |
| | | 16 | **Durg Bus Stand To Annda Via-** Durg Bus Stand, Ganj Mandi, Ganj-Mandi Tiraha, Poulgaon Chowk, Pesegaon, Kolihpur, Chandrkhuri, Konari, Kuthlel, Andda. |
| | | 17 | **Durg Bus Stand To Chandrkhuri Via-** Durg Bus Stand, Utahai Tempo Stand, Old Tre ing Ground, Potiya Chowk, Poulgaon Chowk, C.S.I.T., Koliyapuri, Pisegaon, Chandrkhuri. |
| | | 18 | **Durg Bus Stand To Dhanora Via-** Durg Bus Stand, Gandhi Putala, Laxmi bai Chowk, Subash Nagar Chowk, Kasaridhi, Maharaja Chowk, Borasi, Dhanora. |
| | | 19 | **Durg Bus Stand To Nagpura Via-** Durg Bus Stand, Ganj para, Ganj para Tiraha, Nayapara, Panchshil Nagar, Baghera, Kotani, Nagpura.. |
| | | 20 | **Power-House Bus Stand To Dhanora Via-** Power-House Bus Stand, Murga Chowk, Ispat Bhawan, Boriya Get, Jawahar Udhan, Petrol Pump Tiraha, D.P.S. Bhilai, Risali Chowk, Krishna Takij, Risali Gaon, Dhanora. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. K. RATHORE, Special Secretary.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्रमांक-क/अ.वि.अ./03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. :—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | नवागढ़ | भोगहापारा प. ह. नं. 19 | 0.230 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग क्र. 2, चांपा. | शिवरीनारायण, बरॉज निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
## राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक/6025/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुरिया | परेवाडीह प. ह. नं. 39 | 9.150 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.) | मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक/6026/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुरिया | धोबनी प. ह. नं. 41 | 9.003 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.) | मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक/6027/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुरिया | बड़गांव<br>प. ह. नं. 39 | 2.198 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.) | मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक/6028/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुरिया | मासूलकसा<br>प. ह. नं. 42 | 0.801 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.) | मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अशोक कुमार अग्रवाल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./14/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (वर्गमीटर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | रायपुर | शंकर नगर प. ह. नं. 40 | 41/12, 121/1 | 40 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर. | विधान सभा बलौदा-बाजार बाईपास मार्ग चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन. |
| | | | 121/3 | 60 | | |
| | | | 41/26, 418/5, 415/5 | 10 | | |
| | | | 41/25, 418/4, 416/4, 415/4 | 90 | | |
| | | | 41/28, 418/9 | 330 | | |
| | | | 417/2, 418/6 | 100 | | |
| | | | 417/3, 418/7 | 100 | | |
| | | | योग | 730 | | |

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./15/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | रायपुर | माना प. ह. नं. 56 | 1699/4 | 0.231 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर. | नया रायपुर के विकास कार्य (योजना क्षेत्र) |
| | | | 1703 | 0.061 | | |
| | | | 1640/2 | 0.401 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1646 | 0.105 | | |
| | | | 1643 | 0.239 | | |
| | | | 1755/4 | 0.160 | | |
| | | | 1758/3 | 0.160 | | |
| | | | 1759/3 | 0.247 | | |
| | | | 1759/7 | 0.048 | | |
| | | | 1767/4 | 0.121 | | |
| | | | 1771 | 0.243 | | |
| | | | 1780/1 | 0.049 | | |
| | | | 1780/3 | 0.020 | | |
| | | | 1769/1 | 0.089 | | |
| | | | 1769/2 | 0.152 | | |
| | | | 1769/6 | 0.152 | | |
| | | | 1512/17 | 0.202 | | |
| | | | 1725/4 | 0.405 | | |
| | | | 1758/1 | 0.139 | | |
| | | | 1759/4 | 0.041 | | |
| | | | 1759/5 | 0.226 | | |
| | | | 1759/6 | 0.113 | | |
| | | | 1761/2 | 0.194 | | |
| | | | 1767/1 | 0.169 | | |
| | | | 1768 | 0.316 | | |
| | | | 1770/1 | 0.315 | | |
| | | | 1770/2 | 0.317 | | |
| | | | 1776/1 | 0.354 | | |
| | | | 1776/2 | 0.355 | | |
| | | | 1786/1 | 0.312 | | |
| | | | 1786/3 | 0.283 | | |
| | | | 1787/1 | 0.105 | | |
| | | | 1723/6 | 0.024 | | |
| | | | 1729/8 | 0.041 | | |
| | | | 1739/3 | 0.113 | | |
| | | | 1675/2 | 0.198 | | |
| | | | 1726/2 | 0.340 | | |
| | | | 1726/3 | 0.085 | | |
| | | | 1739/1 | 0.175 | | |
| | | | 1739/2 | 0.061 | | |
| | | | 1739/4 | 0.061 | | |
| | | | 1739/5 | 0.020 | | |
| | | | 1739/6 | 0.121 | | |
| | | | 1743 | 0.672 | | |
| | | | 1744 | 0.368 | | |
| | | | 1745/2 | 0.291 | | |
| | | | 1745/3 | 0.292 | | |
| | | | 1746/1 | 0.324 | | |
| | | | 1746/2 | 0.324 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1751/1 | 0.227 | | |
| | | | 1752/1 | 0.349 | | |
| | | | 1752/2 | 0.364 | | |
| | | | 1753 | 0.053 | | |
| | | | 1754/1 | 0.332 | | |
| | | | 1754/2 | 0.405 | | |
| | | | 1755/2 | 0.174 | | |
| | | | 1755/3 | 0.069 | | |
| | | | 1756/2 | 0.360 | | |
| | | | 1760 | 0.445 | | |
| | | | 1590/4 | 0.550 | | |
| | | | 1598/2 | 0.287 | | |
| | | | 1600/1 | 0.194 | | |
| | | | 1600/2 | 0.097 | | |
| | | | 1600/3 | 0.097 | | |
| | | | 1603/2 | 0.178 | | |
| | | | 1303 | 1.197 | | |
| | | | 1305 | 0.316 | | |
| | | | 1693/2, 1693/3, 1693/4 | 0.592 | | |
| | | | 1605 | 0.235 | | |
| | | | 1717 | 0.429 | | |
| | | | 1729/2 | 0.462 | | |
| | | | 1737/1800 | 0.227 | | |
| | | | 1509/5 | 0.125 | | |
| | | | 1509/3 | 0.120 | | |
| | | | 1512/4 | 0.283 | | |
| | | | 1512/7 | 0.632 | | |
| | | | 1512/18 | 0.349 | | |
| | | | 1512/19 | 0.441 | | |
| | | | 1512/20 | 0.081 | | |
| | | | 1513 | 0.583 | | |
| | | | 1514 | 0.211 | | |
| | | | 1628 | 0.030 | | |
| | | | 1633/2 | 0.036 | | |
| | | | 1680/2 | 0.222 | | |
| | | | 1764/2 | 0.012 | | |
| | | | 1793/3 | 0.146 | | |
| | | | 1794/1 | 0.227 | | |
| | | | 1794/2 | 0.384 | | |
| | | | 1794/3 | 0.397 | | |
| | | | 1794/4 | 0.040 | | |
| | | | 1632/1 | 0.773 | | |
| | | | 1622/2 | 0.081 | | |
| | | | 1623/2 | 0.040 | | |
| | | | 1624/3 | 0.033 | | |

| (1)(१) | (2) | (3)(२) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1512/10 | 0.745 | | |
| | | | 1590/3 | 0.020 | | |
| | | | 1602/1 | 0.098 | | |
| | | | 1675/1 | 0.194 | | |
| | | | 1680/1, 1681/1 | 0.218 | | |
| | | | 1780/4 | 0.178 | | |
| | | | 1782/1 | 0.020 | | |
| | | | 1782/2 | 0.158 | | |
| | | | 1640/1 | 0.142 | | |
| | | | 1695/2 | 0.093 | | |
| | | | 1695/3 | 0.093 | | |
| | | | 1695/4 | 0.077 | | |
| | | | 1590/2 | 0.030 | | |
| | | | 1590/4 | 0.030 | | |
| | | | 1598/1 | 0.144 | | |
| | | | 1603/1 | 0.134 | | |
| | | | 1799 | 0.121 | | |
| | | | 1615/2 | 0.150 | | |
| | | | 1616/2 | 0.100 | | |
| | | | 1701/1, 1702/1 | 0.223 | | |
| | | | 1660/3 | 0.012 | | |
| | | | 1713/1 | 0.287 | | |
| | | | 1729/6 | 0.081 | | |
| | | | 1729/7 | 0.134 | | |
| | | | 1718/1 | 0.065 | | |
| | | | 1718/2 | 0.142 | | |
| | | | 1718/3 | 0.081 | | |
| | | | 1719/1 | 0.352 | | |
| | | | 1719/2 | 0.251 | | |
| | | | 1723/2 | 0.199 | | |
| | | | 1723/8 | 0.193 | | |
| | | | 1726/1 | 0.259 | | |
| | | | 1727/1 | 0.185 | | |
| | | | 1727/2 | 0.243 | | |
| | | | 1727/3 | 0.397 | | |
| | | | 1728/1 | 0.114 | | |
| | | | 1728/2 | 0.117 | | |
| | | | 1755/1 | 0.756 | | |
| | | | 1636/1 | 0.120 | | |
| | | | 1636/2 | 0.020 | | |
| | | | 1635/2 | 0.049 | | |
| | | | 1777/3 | 0.283 | | |
| | | | 1777/6 | 0.129 | | |
| | | | 1712 | 0.664 | | |
| | | | [illegible] | [illegible] | | |
| | | | 1682/5 | [illegible] | | |
| | | | [illegible] | 0.470 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1659/3 | 0.198 | | |
| | | | 1699/1 | 0.154 | | |
| | | | 1699/6 | 0.149 | | |
| | | | 1700 | 0.235 | | |
| | | | 1701/2, 1702/2 | 0.222 | | |
| | | | 1725/7, 1725/8, 1725/9 | 0.202 | | |
| | | | 1746/3 | 0.149 | | |
| | | | 1732 | 0.336 | | |
| | | | 1678/1 | 0.162 | | |
| | | | 1725/1, 1725/2, 1725/3 | 0.405 | | |
| | | | 1695/5 | 0.058 | | |
| | | | 1590/1 | 0.590 | | |
| | | | 1607/3, 1608/3, 1609/3 | 0.170 | | |
| | | | 1649/1 | 0.846 | | |
| | | | 1676/1 | 0.480 | | |
| | | | 1604/1 | 0.089 | | |
| | | | 1677/2 | 0.045 | | |
| | | | 1631/2 | 0.202 | | |
| | | | 1679 | 0.405 | | |
| | | | 1676/2 | 0.728 | | |
| | | | 1676/4 | 0.728 | | |
| | | | 1660/2 | 0.008 | | |
| | | | 1660/1 | 0.008 | | |
| | | | 1657 | 0.725 | | |
| | | | 1759/1 | 0.506 | | |
| | | | 1759/2 | 0.146 | | |
| | | | 1512/12 | 0.166 | | |
| | | | 1512/11 | 0.089 | | |
| | | | 1512/1 | 0.530 | | |
| | | | 1763/1 | 0.522 | | |
| | | | 1766 | 0.162 | | |
| | | | 1729/3 | 0.121 | | |
| | | | 1641 | 0.097 | | |
| | | | 1648 | 0.437 | | |
| | | | 1599 | 0.150 | | |
| | | | 1597 | 0.174 | | |
| | | | 1630/1 | 0.121 | | |
| | | | 1656 | 0.202 | | |
| | | | 1602/2 | 0.116 | | |
| | | | 1611 | 0.020 | | |
| | | | 1612 | 0.172 | | |
| | | | 1613/1 | 0.036 | | |
| | | | 1613/2 | 0.036 | | |
| | | | 1756/1 | 0.316 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1756/3 | 0.040 | | |
| | | | 1658, 1659/2 | 0.296 | | |
| | | | 1512/5 | 0.283 | | |
| | | | 1512/6 | 0.061 | | |
| | | | 1509/2 | 0.125 | | |
| | | | 1517/1 | 0.205 | | |
| | | | 1517/2 | 0.030 | | |
| | | | 1519/1 | 0.227 | | |
| | | | 1519/2 | 0.227 | | |
| | | | 1520 | 0.129 | | |
| | | | 1521 | 0.462 | | |
| | | | 1614 | 0.450 | | |
| | | | 1601 | 0.061 | | |
| | | | 1723/4 | 0.121 | | |
| | | | 1723/5 | 0.243 | | |
| | | | 1723/9 | 0.193 | | |
| | | | 1723/10 | 0.193 | | |
| | | | 1649/2 | 0.684 | | |
| | | | 1512/2 | 0.421 | | |
| | | | 1512/9 | 0.237 | | |
| | | | 1515/1 | 0.585 | | |
| | | | 1736/1 | 0.401 | | |
| | | | 1777/1 | 0.207 | | |
| | | | 1659/1 | 0.222 | | |
| | | | 1511 | 0.405 | | |
| | | | 1667/1 | 0.639 | | |
| | | | 1606 | 0.020 | | |
| | | | 1576 | 0.628 | | |
| | | | 1652 | 0.802 | | |
| | | | 1650 | 0.247 | | |
| | | | 1630/4 | 0.121 | | |
| | | | 1769/5 | 0.101 | | |
| | | | 1411 | 1.137 | | |
| | | | 1507/1 | 0.526 | | |
| | | | 1639 | 0.287 | | |
| | | | 1644 | 0.539 | | |
| | | | 1645 | 0.210 | | |
| | | | 1647 | 0.174 | | |
| | | | 1636/3 | 0.242 | | |
| | | | 1636/4 | 0.109 | | |
| | | | 1512/13 | 0.218 | | |
| | | | 1577/1 | 0.473 | | |
| | | | 1607/1, 1608/1, 1609/1 | 0.203 | | |
| | | | 1655/1 | 0.106 | | |
| | | | 1668/2, 1669/2 | 0.012 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 1670, 1678 | 0.551 | | |
| | | | 1515/2 | 0.220 | | |
| | | | 1630/3 | 0.122 | | |
| | | | 1769/4 | 0.077 | | |
| | | | 1512/3 | 0.227 | | |
| | | | 1512/8 | 0.243 | | |
| | | | 1512/14 | 0.227 | | |
| | | | 1512/15 | 0.284 | | |
| | | | 1512/16 | 0.344 | | |
| | | | 1629 | 0.185 | | |
| | | | 1668/1, 1669/1 | 0.109 | | |
| | | | 1765/1 | 0.024 | | |
| | | | 1762/1 | 0.292 | | |
| | | | 1781/1 | 0.032 | | |
| | | | 1783 | 1.380 | | |
| | | | 1784 | 0.409 | | |
| | | | 1707, 1708/2 | 0.130 | | |
| | | | 1708/1 | 0.138 | | |
| | | | 1649/1 | 0.596 | | |
| | | | 1607/3, 1608/3, 1609/3 | 1.170 | | |
| | | | 1762/2 | 0.162 | | |
| | | | 1767/2 | 0.405 | | |
| | | | 1767/3 | 0.405 | | |
| | | | 1777/2 | 0.182 | | |
| | | | 1777/4 | 0.122 | | |
| | | | 1777/5 | 0.162 | | |
| | | | 1777/7 | 0.129 | | |
| | | | 1777/8 | 0.016 | | |
| | | | 1785/1, 1785/2 | 0.595 | | |
| | | | 1786/2 | 0.061 | | |
| | | | 1786/4 | 0.324 | | |
| | | | 1786/5 | 0.166 | | |
| | | | 1786/6 | 0.560 | | |
| | | | 1787/2 | 0.109 | | |
| | | | 1788 | 0.652 | | |
| | | | 1789/1 | 0.037 | | |
| | | | 1789/2 | 0.032 | | |
| | | | 1790/1, 1791/1, 1792/1 | 0.363 | | |
| | | | 1790/2, 1791/2, 1792/2 | 0.169 | | |
| | | | 1793/1 | 0.093 | | |
| | | | 1607/4, 1608/4, 1609/4 | 0.170 | | |
| | | | 1654/1 | 0.336 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1655/3 | 0.028 | | |
| | | | 1662 | 0.138 | | |
| | | | 1663 | 0.089 | | |
| | | | 1664 | 0.170 | | |
| | | | 1699/2, 1704/1 | 0.680 | | |
| | | | 1699/3 | 0.174 | | |
| | | | 1699/5 | 0.149 | | |
| | | | 1699/7 | 0.154 | | |
| | | | 1610 | 0.093 | | |
| | | | 1607/2, 1608/2, 1609/2 | 0.170 | | |
| | | | 1651 | 0.233 | | |
| | | | 1653/1 | 0.[illegible]74 | | |
| | | | 1653/2 | 0.348 | | |
| | | | 1653/3 | 0.174 | | |
| | | | 1676/3 | 0.404 | | |
| | | | 1638 | 0.336 | | |
| | | | 1673 | 0.243 | | |
| | | | 1661/1 | 0.093 | | |
| | | | 1665 | 0.057 | | |
| | | | 1671 | 0.364 | | |
| | | | 1672 | 0.607 | | |
| | | | 1678/3 | 0.089 | | |
| | | | 1745/1 | 0.295 | | |
| | | | 1748 | 0.142 | | |
| | | | 1749 | 0.243 | | |
| | | | 1750 | 0.101 | | |
| | | | 1751/2 | 0.227 | | |
| | | | 1751/3 | 0.216 | | |
| | | | 1772 | 0.210 | | |
| | | | 1642 | 0.040 | | |
| | | | 1649/3 | 0.174 | | |
| | | | 1666 | 0.234 | | |
| | | | 1722 | 0.069 | | |
| | | | 1723/1 | 0.194 | | |
| | | | 1723/3 | 0.308 | | |
| | | | 1723/7 | 0.133 | | |
| | | | 1709 | 0.312 | | |
| | | | 1695/1 | 0.210 | | |
| | | | 1515/3 | 0.417 | | |
| | | | 1711/1 | 0.190 | | |
| | | | 1711/3 | 0.097 | | |
| | | | 1711/4 | 0.093 | | |
| | | | 1713/2 | 0.089 | | |
| | | | 1714 | 0.223 | | |
| | | | 1715 | 0.186 | | |
| | | | 1716 | 0.279 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1729/1 | 0.506 | | |
| | | | 1729/4 | 0.120 | | |
| | | | 1729/9 | 0.129 | | |
| | | | 1736/3 | 0.069 | | |
| | | | 1740 | 0.445 | | |
| | | | 1741 | 0.210 | | |
| | | | 1742/1 | 0.085 | | |
| | | | 1742/2 | 0.162 | | |
| | | | 1695/6 | 0.210 | | |
| | | | 1630/2 | 0.122 | | |
| | | | 1769/3 | 0.097 | | |
| | | | 1604/3 | 0.045 | | |
| | | | 1604/2 | 0.044 | | |
| | | योग | 331 | 79.656 | | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक/815/भू-अर्जन/2013 —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरिया
(ख) तहसील-खड़गवां
(ग) नगर/ग्राम-करवाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.56 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 360 | 1.41 |
| 363 | 0.05 |
| 437 | 0.57 |
| 436 | 0.40 |
| 440 | 0.52 |
| 441 | 0.18 |
| 79 | 0.10 |
| 442 | 0.48 |
| 571 | 0.28 |
| 439 | 0.15 |
| 445 | 0.48 |
| 446 | 0.24 |
| 448 | 0.42 |
| 438 | 0.05 |
| 444 | 0.51 |
| 454 | 0.25 |
| 449 | 0.90 |
| 452 | 0.07 |
| 455 | 0.25 |
| 568 | 0.62 |
| 570 | 0.42 |
| 91 | 0.05 |
| 93 | 0.05 |
| 90 | 0.05 |
| 98 | 0.09 |
| 112 | 0.09 |
| 72 | 0.11 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 74 | 0.09 |
| 135 | 0.15 |
| 46/2 | 0.12 |
| 45 | 0.05 |
| 44 | 0.05 |
| 134 | 0.12 |
| 314 | 0.19 |
| 315 | 0.16 |
| 306 | 0.20 |
| 307 | 0.08 |
| 296 | 0.15 |
| 299 | 0.07 |
| 105 | 0.09 |
| 357 | 2.40 |
| 358 | 0.51 |
| 252 | 0.21 |
| 258 | 0.12 |
| 259 | 0.03 |
| योग | 13.56 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कदरवाँ जलाशय सिंचाई योजना हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी-खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक/817/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-खड़गवां

(ग) नगर/ग्राम-कदरवाँ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.87 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1195 | 0.08 |
| 1193 | 0.20 |
| 1213 | 0.08 |
| 1235 | 0.24 |
| 1240 | 0.37 |
| 1236 | 0.61 |
| 1241 | 1.00 |
| 1242/1 | 0.04 |
| 1285/1 | 0.23 |
| 1286 | 0.18 |
| 1287/1 | 0.13 |
| 1242/2 | 0.03 |
| 1285/2 | 0.33 |
| 1287/2 | 0.27 |
| 1257 | 0.25 |
| 1258 | 0.24 |
| 1244 | 0.43 |
| 1245 | 0.22 |
| 1246 | 0.85 |
| 1247 | 0.45 |
| 1249 | 0.13 |
| 1252 | 0.14 |
| 1307 | 0.06 |
| 1319 | 1.28 |
| 1255 | 0.45 |
| 1256 | 0.50 |
| 1259 | 0.50 |
| 1260/1 | 0.31 |
| 1260/2 | 0.31 |
| 1284 | 0.85 |
| 1268 | 0.22 |
| 1295/2 | 0.30 |
| 1298 | 0.48 |
| 1300 | 0.09 |
| 1301 | 0.50 |
| 1290 | 0.04 |
| 1294 | 0.36 |
| 1297 | 0.69 |
| 1299 | 0.31 |
| 1305 | 0.14 |
| 1310 | 0.47 |
| 1314 | 1.02 |
| 1317 | 0.12 |
| 1320 | 0.94 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 1321 | 0.28 |
| | 1322 | 0.38 |
| | 1323 | 0.60 |
| | 1324 | 0.04 |
| | 1327 | 0.16 |
| | 1363 | 0.23 |
| | 1366 | 0.16 |
| | 1368 | 0.58 |
| योग | 52 | 18.87 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमाडांड़ जलाशय सिंचाई योजना के लिए बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी-खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक/819/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-आमाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.39 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 373 | 0.12 |
| 371 | 0.09 |
| 384 | 0.12 |
| 401 | 0.12 |
| 406 | 0.07 |
| 400 | 0.02 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 742 | 0.04 |
| 681 | 0.07 |
| 399 | 0.05 |
| 725 | 0.12 |
| 377 | 0.03 |
| 378 | 0.04 |
| 726 | 0.04 |
| 408 | 0.09 |
| 409 | 0.02 |
| 379 | 0.04 |
| 381 | 0.07 |
| 798/1 | 0.04 |
| 798/3 | 0.09 |
| 385 | 0.07 |
| 707 | 0.15 |
| 386 | 0.06 |
| 387 | 0.01 |
| 388 | 0.07 |
| 704/2 | 0.04 |
| 390 | 0.18 |
| 724 | 0.16 |
| 886 | 0.24 |
| 722 | 0.14 |
| 738 | 0.07 |
| 855 | 0.02 |
| 717 | 0.16 |
| 744 | 0.02 |
| 703 | 0.04 |
| 699 | 0.07 |
| 403 | 0.02 |
| 743 | 0.06 |
| 752 | 0.06 |
| 878 | 0.08 |
| 862 | 0.18 |
| 809 | 0.04 |
| 807 | 0.08 |
| 854 | 0.02 |
| 837 | 0.02 |
| 407 | 0.10 |
| 370 | 0.10 |
| 372 | 0.01 |
| 918 | 0.13 |
| 919 | 0.09 |
| 813 | 0.21 |
| 806 | 0.14 |
| 798/2 | 0.04 |
| 798/4 | 0.03 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 796 | 0.20 |
| | 712 | 0.09 |
| | 405 | 0.07 |
| | 694 | 0.12 |
| | 692 | 0.26 |
| | 704/3 | 0.04 |
| | 842 | 0.09 |
| | 838 | 0.09 |
| | 846 | 0.12 |
| | 853 | 0.02 |
| | 880 | 0.10 |
| योग | 64 | 5.39 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमाडांड़ जलाशय सिंचाई योजना के लिए नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी-खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक/821/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-खड़गवां

(ग) नगर/ग्राम-छोटेकलुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.81 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 324 | 0.25 |
| 120 | 0.08 |
| 65 | 0.10 |
| 63 | 0.12 |
| 64 | 0.10 |
| 61 | 0.04 |
| 77 | 0.05 |
| 79 | 0.10 |
| 93 | 0.02 |
| 83 | 0.04 |
| 81 | 0.04 |
| 82 | 0.07 |
| 84 | 0.01 |
| 85 | 0.03 |
| 52 | 0.06 |
| 11 | 0.06 |
| 12 | 0.02 |
| 18 | 0.08 |
| 13 | 0.07 |
| 15 | 0.07 |
| 16/1 | 0.06 |
| 285 | 0.18 |
| 290 | 0.08 |
| 291 | 0.06 |
| 294/1 | 0.04 |
| 313 | 0.05 |
| 315/1 | 0.04 |
| 315/2 | 0.04 |
| 315/3 | 0.04 |
| 316 | 0.11 |
| 318 | 0.11 |
| 320 | 0.09 |
| 334 | 0.11 |
| 331 | 0.05 |
| 351 | 0.24 |
| 349/2 | 0.09 |
| 348 | 0.13 |
| 253 | 0.08 |
| 254 | 0.10 |
| 256 | 0.01 |
| 257 | 0.07 |
| 258/1 | 0.02 |
| 258/2 | 0.02 |
| 258/3 | 0.02 |
| 260/1 | 0.04 |
| 260/2 | 0.04 |
| 263 | 0.06 |
| 264 | 0.04 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 265 | 0.13 |
| 270 | 0.06 |
| 271 | 0.03 |
| 272 | 0.02 |
| 280/1 | 0.09 |
| 279 | 0.07 |
| योग [illegible] | [illegible] |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमाडाड़ जलाशय सिंचाई योजना के लिए नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी-खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक/823/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-पड़िता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.12 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1/1 | 0.13 |
| 1/2 | 0.39 |
| 9 | 0.24 |
| 50 | 0.07 |
| 11/1 | 0.13 |
| 12/1 | 0.05 |
| 131 | 0.13 |
| 12/2 | 0.05 |
| 49 | 0.18 |
| 125 | 0.17 |
| 129 | 0.10 |
| 134 | 0.10 |
| 51 | 0.07 |
| 95 | [illegible] |
| 126 | 0.12 |
| 128 | 0.06 |
| 133 | 0.13 |
| 163 | 0.30 |
| 167 | 0.08 |
| 170 | 0.08 |
| 171 | 0.13 |
| 13/[illegible] | 0.06 |
| 14 | 0.25 |
| योग | 3.12 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गञ्जूपानी जलाशय सिंचाई योजना हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी-खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक/825/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ागी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 181 | 0.16 |
| 199 | 0.11 |
| 182 | 0.06 |
| 185 | 0.04 |
| 186 | 0.07 |
| 191 | 0.07 |
| 200 | 0.07 |
| 209 | 0.08 |
| 207/1 | 0.08 |
| 208/1 | 0.06 |
| 393/1 | 0.08 |
| 391/1 | 0.02 |
| 390 | 0.08 |
| 389/2 | 0.04 |
| 388/4 | 0.04 |
| 388/5 | 0.05 |
| 287 | 0.05 |
| योग | 1.16 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करवां जलाशय सिंचाई योजना हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी-खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक/827/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-गणेशपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.59 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 294 | 0.21 |
| 295/1 | 0.20 |
| 325/5 | 0.30 |
| 295/2 | 0.10 |
| 300 | 0.10 |
| 322 | 0.11 |
| 326 | 0.10 |
| 327 | 0.16 |
| 325 | 0.05 |
| 397 | 0.95 |
| 413 | 1.00 |
| 394/1 | 0.12 |
| 364/1 | 0.03 |
| 354/2 | 0.02 |
| 364/3 | 0.03 |
| 391 | 0.04 |
| योग | 3.59 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गज्जूपानी जलाशय सिंचाई योजना हेतु बांध एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी-खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अविनाश चम्पावत**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 जुलाई 2013

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-मैनपाट
(ग) नगर/ग्राम-कमलेश्वरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.558 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 477 | 1.356 |
| 478 | 0.202 |
| योग | 1.558 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोपाखार जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 जुलाई 2013

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-मैनपाट
(ग) नगर/ग्राम-रोपाखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 859 | 0.105 |
| योग | 0.105 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोपाखार जलाशय योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 जुलाई 2013

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-मैनपाट
(ग) नगर/ग्राम-रोपाखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.546 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 675 | 0.546 |
| योग | 0.546 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोपाखार जलाशय योजनान्तर्गत डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्रमांक 29/चार/निरर्हित/2008-2013/3468.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा निरर्हता हटाये जाने के संबंध में जारी आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./5/2008, दिनांक 31 जुलाई, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2013—9 श्रावण, 1935 (शक)

आदेश

सं. छ.ग.-वि.स./5/2008.—यतः आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति सं. ई.सी.आई./पी.एन./23/2008 दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2008 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया था एवं निर्वाचन परिणाम दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 को घोषित हुआ था.

और यतः, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक 7 जनवरी, 2009 निर्धारित थी.

यतः आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थित 5-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अरविन्द शरण सिंह, ग्राम-पोस्ट-चन्दमेढ़ा, एरिया/थाना-भटगांव, तहसील-सूरजपुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने के कारण दिनांक 17 जून, 2010 को नोटिस जारी किया था, जिसे श्री अरविन्द शरण ने दिनांक 10 अगस्त, 2010 को प्राप्त किया. नोटिस प्राप्ति के बाद व्यय लेखा दाखिल करने हेतु निर्धारित समय के बाद भी लेखा दाखिल नहीं करने के कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 21 सितम्बर, 2011 के आधार पर आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन अपने दिनांक 7 दिसम्बर, 2011 के आदेश संख्या 76/छ.ग.-वि.स./2011 द्वारा संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने के लिए अथवा होने के लिए निरर्हित कर दिया है, और ;

यतः श्री अरविन्द शरण सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 दायर की है और अपनी उस अपील में लेखा दाखिल नहीं कर पाने का कारण अपने पिता एवं भाई की मृत्यु होना बताया है तथा सुनवाई के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय लेखा लेने से इंकार कर रहे हैं, इन्हीं बताए गए कारणों के आधार पर उन्होंने आयोग में निरर्हता हटाने के लिए अनुरोध किया है.

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन की गई अपील को सुनने और निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय किया है कि दिनांक 7 दिसम्बर, 2011 के आदेश संख्या 76/छ.ग.-वि.स./2011 के द्वारा श्री अरविन्द शरण सिंह पर लगाई गई निरर्हता 18 जून, 2013 से हटा दी जाएगी.

अतः, अब आयोग के तारीख 7 दिसम्बर, 2011 के आदेश संख्या 76/छ.ग.-वि.स./2011 के साथ संलग्न सारणी की क्रम संख्या 5 पर स्थित श्री अरविन्द शरण सिंह का नाम दिनांक 18 जून, 2013 से हटा दिया गया है.

आदेश से,

हस्ता./-
( आर. के. श्रीवास्तव )
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.